

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से प्रतिलिपि क्रमांक 53-3एस-71, दिनांक 17 मार्च, 1971, वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव तथा सभी विभागाध्यक्षों इत्यादि को प्रेषित है ।

विषय :- दक्षतारोध पार करना ।

कृपया वित्तायुक्त राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव कृपया उपर्युक्त विषय पर पूर्व पंजाब सरकार के अनुदेशों जो कि पत्रों क्रमांक 4091-ए0 एस0-11-60/20836, दिनांक 8-6-60, में निहित हैं, की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

2. स्वतः पत्र में यह बताया गया था कि किसी अधिकारी/कर्मचारी के दक्षतारोध के मामले पर विचार करते समय उस कर्मचारी के दक्षतारोध पार करने की तिथि तक का रिकार्ड तथा कन्डकट ध्यान में लाया जाना चाहिए तथा उस तिथि के बाद के समय की घटनाओं को ध्यान में नहीं लाना है । इस संबंध में आगे यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की पिछली रिपोर्ट/अच्छी बहुत अच्छी तथा उत्कृष्ट हो तो ऐसे केसों में बिना स्पेशल रिपोर्ट मंगवाए ही दक्षतारोध पार करने के मामले की जांच की जाए और जिस केस में पिछले रिकार्ड के आधार पर दक्षतारोध पार करने की अनुमति देने के संबंध में सन्देह प्रतीत होता है । और कर्मचारी/अधिकारी की दक्षतारोध पार करने की ड्यू तिथि वर्तमान रिपोर्टिंग इयर के पहले छः महीने या उससे ज्यादा हिस्सा कवर करती है और रिपोर्टिंग इयर अभी समाप्त न हुआ हो तो ऐसी अवस्था में उस साल के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कार्य एवं आचरण के बारे में स्पेशल रिपोर्ट मंगवा कर ही दक्षतारोध के केसों का फैसला करना चाहिए । अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों का पूर्ण ढंग से पालन किया जाए ।

कृपया इसकी पावती भेजें ।